



भारत सरकार, रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड



सीईएन 02/2018 (7वें सीपीसी के अनुसार स्तर -1 के पद)

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों और पदों की वरीयता में संशोधन संबंधी सूचना

1.0 पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियों में संशोधन :

रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के स्तर -1 के विभिन्न पदों के लिए रिक्तियाँ अधिसूचित की गई थीं, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियाँ भी शामिल थीं। कृपया विस्तृत सीईएन 02/2018 का अनुलग्नक-बी देखें, जो सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया है। सामान्य निर्देशों के पैरा 1.10 के अनुसार, सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम थीं तथा बाद के चरणों में वे बढ़ या घट सकती थीं या पूर्णतयः अथवा विशिष्ट समुदाय/ पद/ इकाइयों के लिए शून्य हो सकती थीं।

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा जारी निर्देश डब्ल्यूपी नं.1855/2018 के संदर्भ में पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रेलवे के स्तर -1 में विभिन्न पदों की रेलवे भर्ती बोर्डवार और रेलवेवार रिक्तियों में संशोधन किया गया है, जो इस सूचना के साथ संशोधित अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न है। तथापि, चूँकि पूर्वी रेलवे में अधिकांश अधिसूचित रिक्तियाँ जैसे ट्रैक अनुरक्षक- IV, सहायक प्वाइंटसमैन, गेटमैन, इत्यादि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, अतः इस अधिसूचना में पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियों की कमी को जारी अधिसूचना आरआरसी सीईएन-01/2019 में पूर्णरूपेण भरा जाएगा।

यह ध्यान दिया जाना है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे को छोड़कर, जहाँ कोटि संख्या 3, 12 और 18 की रिक्तियों को बढ़ाया गया है; अना/ अजा/ अजजा/ अपिव के लिए अधिसूचित समुदायवार रिक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों को पैनलीकृत करने के समय रेलवे की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार रिक्तियाँ में वृद्धि या कमी करने का अधिकार रेलवे के पास सुरक्षित है।

2.0 संशोधित पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियों के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों द्वारा पदों की प्राथमिकता में संशोधन :

रिक्तियों में संशोधन के परिणामस्वरूप जैसा कि उपर्युक्त पैरा 1.0 में तथा संशोधित अनुलग्नक बी में वर्णित है, ऐसे पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को, जो दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए मेरिट के अनुसार अर्हक हैं, उन्हें उनके लिए आरक्षित पदों के लिए विकल्पों का प्रयोग करने की अनुमति संबंधित रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) के दस्तावेज़ सत्यापन के स्थल पर दी जाएगी।

डीवी के दौरान, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जितने पदों के लिए पात्र है, अपने पदों की प्राथमिकता का संकेत दें। यदि कोई उम्मीदवार केवल कुछ पदों के लिए विकल्प का चयन करता है, तो उसे केवल उन चुने गए पदों के लिए माना जाएगा तथा अन्य पदों के लिए नहीं माना जाएगा।

दिनांक : 28.03.2019

अध्यक्षगण
रेलवे भर्ती बोर्ड